MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि. 09 फरवरी, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर,
चित्तौडगढ, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर,
जैसलमेर, झालावाड, जोधपुर, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर,
सीकर एवं टोंक।

विषय :– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, दिनांक 05.09.2017 एवं 26.10.2017 तथा वीसी दिनांक 18.12.2017 एवं 15.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला/पंचायत समिति स्तर पर एक–एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से स्थापित करने बाबत् विभागीय पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 द्वारा निर्देशित किया गया था। उक्त सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्रों एवं दूरभाष पर बार–बार स्मरण कराने के उपरान्त भी आपके जिले में गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना आदिनांक तक नहीं की गई है,जिसके कारण पक्के निर्माण कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब होने से योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है, जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही संपादित कराकर जिला/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 20 फरवरी, 2018 तक आवश्यक रूप से स्थापित कराकर विभाग को सूचित करे, अन्यथा विभागीय निर्देशों की अवहेलना बाबत् आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

8/2/18
(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. जिला कलक्टर अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, चित्तौडगढ, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, झालावाड, जोधपुर, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसएपी–I/एसएपी–II ईजीएस), ग्रामीण विकास।
7. अधिशाषी अभियंता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद्, अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, चित्तौडगढ, चुरू, धोलपुर, डूगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, झालावाड, जोधपुर, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\iay\letter to district\Letter.docx